रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270807
SG-DL-E-10032026-270807

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 493
No. 73]	DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947	[N. C. T. D. No. 493

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2026

फा. सं. 12(39)/डीओएफएस/प्र”ाा0/2022/5138–48—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग की पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''**खाद्य सुरक्षा अधिकारी**'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

(i) इन नियमों को **खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग,** भर्ती नियमावली, 2026
कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** – उक्त पद की संख्या, इनका
वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **f"kथिल करने की भाक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**खाद्य सुरक्षा अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	32* (2026) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	6 अभ्युक्ति : 35400–112400/–रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसरण सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">6 (क) महत्वपूर्ण विवरण : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="7">7.</td><td rowspan="7">सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता</td><td rowspan="7">:</td><td colspan="2">अनिवार्य</td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या चिकित्सा पद्धति (मेडिसिन) में स्नातक या मास्टर या डाक्टरेट की उपाधि या केन्द्र सरकार की पूर्वानुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता।

टीपः अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्व करते हुए योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीपः दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी को एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 37 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाएगा। एफएसएस नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3.1. (iii) में यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् अधिसूचना जारी होने तक, नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौपें गए प्रशासनिक या अन्य कार्य का निवर्हन करेगा।</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">वांछनीय</td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग्यता मानक टीप</td></tr>
</table>

			योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप
			लागू नहीं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयुः लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष	
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पद्धति	प्रति”ात
			7. सीधी भर्ती द्वारा	100
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं	
			मानक टीप	
			लागू नहीं	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति 1. लागू नहीं (अध्यक्ष)	विभागीय स्थाईकरण समिति 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) (अध्यक्ष) 2. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. विशेष/अपर सचिव (श0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नीरज गुप्ता, उप—सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2026

F. No . 12(39)/DOFS/Admn./2022/5138-48—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notifications No. F-27/59-him (i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi with the prior approval of the Union Public Service Commission is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Food Safety Officer in Department of Food Safety, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-**

(i) These rules may be called the Food Safety Officer, Department of Food Safety, Recruitment Rules, 2026.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix**- The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc**:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification :**- No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**No. of Posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection post/Selection Post**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Food Safety Officer	32(2026) *Subject to variation dependent on workload	**General Central Service** Non Ministerial Non-Gazetted Group B	6 Remark : Rs. 35400-112400/-	Not Applicable

Age Limits for Direct Recruits
6
Not exceeding 30 years (relaxable for govt servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issue by central govt.) 6(a) Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority.

Educational and other Qualification required for direct recruits	
7	
Essential	
Qualification	Experience
a Bachelors or Masters or Doctorate degree in Food Technology or Dairy Technology or Bio Technology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Science or Bio Chemistry or Micro Biology or Chemistry or medicine from a recognized university, or Any other equivalent/recognized qualification notified by the Food Authority with the prior approval of the Central Government Note: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified Note: The newly recruited Food Safety Officer by the DSSSB will be notified under Section 37 of the	

FSS Act, 2006, after successful completion of training as specified in Rule 2.1.3.1 (iii) of FSS Rules 2011. Till notification, the newly recruitment Food Safety Officer will perform administrative or any other work assigned by the Commissioner, Food Safety, GNCTD.	NA
Desirable	
NA	NA
Qualification Standard Note	
Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**
NA	NA

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	**Period of Probation if any**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**	
8	**9**	**10**	
Age: NA Edu. Qual: NA	2 Years	Method	Percentage
		7.Direct Recruitment	100

In case of recruitment by Prom/Dep./abs.grades from which prom/dep./abs to be made
11
Not Applicable.
Standard Notes
NA

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	
12	
Departmental Promotion Committee 1.NA (Chairman)	**Departmental Confirmation Committee** 1.ADDL. CHIEF SECRETARY (HOME) / PR. SECRETARY (HOME) (Chairman) 2.PRINCIPAL SECRETARY (HEALTH and FAMILY WELFARE), GNCTD (member) 3.COMMISSIONER (FOOD SAFETY), GNCTD (member) 4.SPECIAL / ADDL. SECRETARY (UD), GNCTD (member)

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
13
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ GUPTA, Dy. Secy. (Health & Family Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.10 15:45:23 +05'30'